न्यायालय अति० जिला कलक्टर नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी का नाम — अनिल कुमार (R.A.S)

अपील सं 8/2024

उनवान

1. गोरूदास पुत्र श्योलदास
2. मूलदास पुत्र श्योलदास
3. भंवरदास पुत्र श्योलदास

समस्त जाति स्वामी निवासीयान अधिनाथी तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

-अपीलान्ट-

बनाम

1. उप तहसीलदार अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला - नीमकाथाना

-रेस्पोंडेन्ट-

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवन्यु एक्ट विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार अजीतगढ दिनांक- 21-2-24 बाबत नोटिस धारा 91 एल. आर. एक्ट प्रकरण सं 81/2023-2024 उनवानी सरकार बनाम गोरूदास व अन्य

उपस्थित: श्री [illegible] — अपीलान्ट

[illegible] दिनांक

संक्षेप मे अपील [illegible]पीलान्ट इस [illegible]कार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राजस्थान)

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

है कि पटवारी हल्का अविनाशी की ओर से गलत एवं अस्पष्ट रिपोर्ट दिनांक 1-2-2024 के इस आशय की योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट ने भूमि ख० नं० 313/132 रकबा 1.06 है में 0.06 है० पर ईटो की दीवार छप्पर छडी डालकर - तारबन्दी कर अतिक्रमण किया हुआ है। जिसके आधार पर उप तहसीलदार अजीतगढ़ ने प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 9-2-2024 नियत की नोटिस जारी नही किए जाने पर पुनः पेशी दिनांक 15-2-2024 कि नियत करते हुए नोटिस जारी किये गये किन्तु अपीलान्ट कि तामिल नही कराई गई। केवल महिलाओं को मौखिक रूप से सूचित किया गया। पटवारी कि गलत एवं अस्पष्ट रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही शुरू कि गई। अपीलान्ट सं 3 ने जबाब देही कर आगामी पैरवी हेतु समय दिये जाने बाबत निवेदन किया। आगामी पेशी 21-2-2024 नियत कर अवगत करा दिया गया। अपीलान्ट को प्रकरण में निर्णय दिनांक 22-2-24 पारित करने बाबत अवगत कराने पर निर्णय आदि की नकले दिनांक 22-3-2024 को प्राप्त की गई। अपीलाधीन निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट को साक्ष्य का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। पटवारी हल्का कि रिपोर्ट मौके के विपरीत है। भूमि मुतदाविया पर आबादी बसी हुई है। मकान बाडे बने हुए है। अधिनस्थ न्यायालय ने राज॰ सरकार द्वारा निर्धारित नियम राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का उल्लंघन करते हुए विवादित निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। ---3...

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राजस्थान)

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

निर्णय आदि की नकले दिनांक 22-3-2024 को प्राप्त
की गई। नकल प्राप्त होने से अपील अन्दर मियाद
प्रस्तुत है। अत: अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि
अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर उप तहसीलदार
अजीतगढ़ के निर्णय दिनांक 21-2-2024 बाबत नोटिस
धारा 91 एल. आर. एक्ट प्रकरण सं. 8/2023-2024
उनवान सरकार बनाम गोरुदास व अन्य अपास्त
फरमाया जावें।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर दर्ज
रजिस्टर कि गई एवं जरिए नोटिस रेस्पो० को तलब
किया गया एवं उप तहसीलदार अजीतगढ़ से मूल
रिकार्ड तलब किया गया जो प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली किया गया।

अपील अपीलान्ट पर बहस सुनी गई।
दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अपीलान्ट
का उक्त भूमि पर काफी समय से कब्जा चला आ
रहा है एवं मौके पर अन्य व्यक्तियों के भी आवासीय
मकान बने हुए है एवं आबादी बसी हुई है। पटवारी ह०
कि रिपोर्ट मौके के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा
सुनवाई का पूर्ण अवसर नही दिया गया। मौके पर नाप
भी नही कि गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी गलत है।
अत: अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट
स्वीकार फरमायी जावे एवं उप तहसीलदार अजीतगढ़
द्वारा पारित निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन
किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड
व प्रकरण से सम्बंधित मूल रिकार्ड का अवलोकन किया
गया। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का का
अवलोकन किया गया। [illegible] से पाया गया कि
अपीलान्ट द्वारा [illegible] ख.का. 4 मे
रकबा 1.06 है मे से [illegible] की दिवार बनाकर
अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। पटवारी हल्का द्वारा
रिपोर्ट के पीछे नजरी नक्शा भी बनाया है जिसमे लाल
स्याही मे मार्क कर रखा है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:13 IST
Reason: SelfAttested

अनिल कुमार
अतिरिक्त जिला कलक्टर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय सहीपारित
किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली के
अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा
राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट
अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अपीलान्ट अतिक्रमी है।
अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण
किया है जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार नही है।
समस्त तथ्यो के आधार पर यह तो स्पष्ट है कि
अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया
गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक प्राकृतिक
न्याय के सिद्धान्तो की पालना करते हुए एवं अपीलान्ट
को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए सही निर्णय
पारित किया गया है जिसमे कोई त्रुटी नही पाई गई
है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो
निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार का
हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।
इन सभी तथ्यो के आधार पर अपील अपीलान्ट
सारहीन होने के कारण खारीज किया जाना उचित
प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर
अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज
कि जाती है तथा प्रकरण सं 81/2023-24 राजस्थान
सरकार बनाम गोरूराम निर्णय दिनांक 21-2-2024
यथावत रखा जाता है। निर्णय सुनाया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राजस्थान)

(अ...)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:13 IST
Reason: SelfAttested